न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
सार्व0वि0प्र0 वाद संख्या–184/2013
मो0 शेर अली बनाम बिहार सरकार द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा

| आदेश की कम संख्या और तारिख : | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख सहित |
|---|---|---|
| 10/07/15 | **आदेश**<br>अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद आवेदक मो0 शेर अली, पे0– स्व0 जमालुद्दीन, मो0–साहसुपन, पो0–लालबाग, थाना–लहेरियासराय, जिला–दरभंगा की ओर से वकालतनामा के साथ अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा द्वारा अभिलेख संख्या–02/2013 में दिनांक–10.03.2013 द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध वाद आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदक द्वारा दाखिल वाद आवेदन को प्रतिग्रहित कर निम्न न्यायालय को अभिलेख की माँग की गयी। अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा के पत्रांक–156 दिनांक–10.02.14 से निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त हुआ, जो अभिलेख पर संधारित है। वाद आवेदन के समर्थन में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना।<br>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत वाद आवेदक के रिक्शा ठेला भेण्डर अनुज्ञप्ति संख्या–01/2008 को निरस्त किये जाने के विरूद्ध अपील दायर किया गया है। आवेदक के द्वारा दरभंगा नगर क्षेत्र के वार्ड संख्या–11 के लाभुकों/उपभोक्ताओं को रिक्शा ठेला के माध्यम से किरासन तेल का वितरण किया जा रहा था। उनके द्वारा किरासन तेल के वितरण लाभुकों के बीच नियमानुसार किये जाने के कारण कभी कोई शिकायत नही किया गया। परंतु माह–दिसम्बर,2012 में अचानक उनके काफी बीमार पड़ जाने के कारण अपने दायित्वों का निर्वहन नही किया जा सका। अपनी बीमारी के ईलाज में रहने के कारण ही अनुज्ञापन पदाधिकारी, द्वारा दिये गये आदेश का भी स–समय अनुपालन नही किया जा सका। उक्त कारणवश अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा द्वारा दिनांक–01.03.2013 को पारित आदेश से आवेदक की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी। आवेदक अपनी बीमारी के कारण मृत्यु से जूझ रहे थे जिस कारण अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा द्वारा की गयी बार–बार पृच्छा के अनुपालन में तथ्यपरक उत्तर नही दे सके। आवेदक द्वारा अनुज्ञप्ति के किसी भी शर्त्त का उल्लंघन नही किया गया है। आवेदक का रिक्शा ठेला जिविकोपार्जन का एक मात्र साधन है, जिनकी अनुज्ञप्ति रद्द हो जाने के कारण आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गयी है। आवेदक के आवेदन में रखे गये तथ्यों पर सहानुभूतिपूर्वक विचारोपरांत आवेदक के रिक्शा ठेला अनुज्ञप्ति को पूनर्बहाल करने का अनुरोध करते है।<br>विद्वान सरकारी अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक | |